


उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ के अंतर्गत आप द्वारा चाही गई जानकारी निम्न अनुसार है ।

श्री मान जी उपरोक्त 220 के वी सूरतगढ़ - पदमपुर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कार्य जनहित में क्षेत्र पदमपुर तथा गंगानगर में विधुत व्यवस्था को सुचारु बनाये रखने के लिए तकनीकी रूप से अति आवश्यक होने के कारण उस समय पद स्थापित अधिकारी श्रीमान एल. एल. चड्ढा अधिक्षण अभियंता (टी एंड सी) द्वारा करवाया गया था । श्री मान एल. एल. चड्ढा निगम से 2013 में सेवानिवृत्त हो गए थे ।

चूंकि यह प्रकरण काफी समय पुराना है इस बाबत निगम के परिपत्र RVPN/AS/GAD/F&R/F. 21/d. 15 DATE 08.01.2008 (प्रतिलिपि सलग्न) के अनुसार उनकी सेवानिवृत्ति को 4 वर्ष से अधिक होने के कारण राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत उन पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है । इस कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार रिपोर्ट श्री मान जी कि सेवा में प्रस्तुत है, तदनुसार इस प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृत जारी करवाने का कष्ट करें ताकि इस लंबित प्रकरण का निस्तारण हो सके ।


22.07.2024
Executive Engineer (T&C)
RVPN, Hanumangarh